भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 855

07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक उर्वरकों का उपयोग

855. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मृदा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूरिया के साथ-साथ जैव उर्वरकों के उपयोग को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली को कब तक अनिवार्य किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन में कमी न हो जैव उर्वरकों का चयन किया है और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की है; और

(घ) क्या वर्तमान प्रणाली के विपरीत यूरिया पर राजसहायता को निर्माताओं के स्थान पर किसानों को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): यूरिया के साथ जैव उर्वरकों के उपयोग को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) कार्यनीतियों के तहत और जैविक खेती सभी फसलों में उपयोग के लिए जैव-उर्वरक के उपयोग की सिफारिश की जाती है।

(ग): जैव उर्वरक लाइव माइक्रोबियल उत्पाद हैं जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है। जैव उर्वरक में मौजूद सूक्ष्म जीव मृदा और हवा में मौजूद अनुपलब्ध रूप से पोषक तत्वों की उपलब्धता को उपलब्ध रूप में मुहैया कराते हैं जिसे पौधे ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने मृदा जैव विविधता-जैव-उर्वरकों पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना (एआईएनपी) के तहत विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के विशिष्ट जैव-उर्वरकों के बेहतर और कुशल उपभेदों का विकास किया है और सूचित किया है कि जैव-उर्वरकों से फसल की पैदावार में 10-25% तक सुधार हो सकता है तथा उत्पादन में किसी भी कमी के बिना रासायनिक उर्वरकों के साथ उपयोग किए जाने पर अधिकांश मामलों में महंगे रासायनिक उर्वरकों (एन, पी) को लगभग 20-25% तक अनुपूरित कर सकता है।

11 जैव-उर्वरकों नामत: राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पिरिलम, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया, माइकोरिज़ल बायोफर्टिलाइज़र, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइज़र (केएमबी), जिंक सॉल्यूबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइज़र (जेडएसबी) एसीटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया, लिक्विड कंसोर्टिया, और फॉस्फेट सॉल्यूबलिंग फंगस को अधिसूचित और उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ़सीओ), 1985 में शामिल किया गया है। इन जैव-उर्वरकों के गुणवत्ता मानकों को एफ़सीओ, 1985 के तहत निर्दिष्ट किया गया है।

(घ): वर्तमान में निर्माताओं के स्थान पर किसानों को यूरिया पर राजसहायता अंतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

******